न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	14.05.2019	21.07.2022

सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक ....आवेदक

बनाम

1. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन जाति महाजन निवासी मेन मार्केट अलीगढ़ तह, उनियारा जिला टोंक मैसर्स जय गुरुदेव किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह, उनियारा जिला टोंक

2.मैसर्स जय गुरूदेव किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह उनियारा जिला टोंक राज.

3.श्री सुरेन्द्र मोहन गुप्ता पुत्र श्री खेमचन्द गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स विशाल एजेन्सीज 18, जवाहर नगर ट्रक यूनियन, वैद जी के कटले के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर।

4.मैसर्स विशाल एजेन्सीज 18 जवाहर नगर, ट्रक यूनियन, वैद जी के कटले के सामने,बजरिया, सवाई

5.श्री अनुराग त्रिपाठी नोमिनी मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ—957. रोड नं0 13. विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर राज० फॉचूर्न हाऊस, नवरंगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात पिनकोड—380009 खसरा नं0 16. ग्राम रूंध दूनीनाथ, तह. रामगढ जिला अलवर राज०

6.मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ—957, रोड नं0 13, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया. जयपुर राज० पिनकोड—302013 / फॉचूर्न हाऊस, नवरंगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात पिनकोड—380009 / खसरा नं० 16 ग्राम रूंध दूनीनाथ, तह. रामगढ जिला अलवर राज० पिनकोड—301026

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (।।) व 31 (1) एवं दण्डननीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।

2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 21.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2018 को समय 0430 पी.एम पर मैसर्स जय गुरूदेव किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर प्रतिष्ठान का एकमात्र विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना दिखाया जो कि अवधिपार था।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फेक्शनरी, घी, तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 30 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** हुआ था जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन को गवाह के सामने फार्म न 5ए मे वास्ते नमूना जांच करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं 1–1 लीटर पैक के चार मूल पैक वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसके बैच नम्बर एआरबीएलओ 9 जी 04 एवं पैकिंग की दिनांक 20 अप्रैल 2018 थी जिसकी कीमत विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डीओ के कोड एवं क्रमांक आई–1955 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह की गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1955 नियमानुसार चारों नमूना मागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा इस समस्त कार्यवाई की मीका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग के साथ मय फार्म सं. 6. की प्रति के आउटर कवर में पुनः सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर जमा रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन मेसर्स जय गुरूदेव किराणा स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मेसर्स विशाल एजेन्सीज 18. जवाहर नगर ट्रक यूनियन वैद जी के कटले के सामने बजरिया सवाई माधोपुर राज० का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मेसर्स विशाल एजेन्सीज 18 जवाहर नगर, ट्रक यूनियन वैद जी के कटले के सामने, बजरिया सवाई माधोपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं0 5ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज (खाद्य अनुज्ञा लाईसेन्स, जीएसटी रजि० की छायाप्रति) व बतौर वारन्टी मेसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ–957, रोड न० 13, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ–957 , रोड नं. 13, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा लाईसेन्स की छायाप्रति प्रेषित कर उपरोक्त फर्म का नॉमिनी श्री अनुराग त्रिपाठी होना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/18/2748 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/422/एक्ट/2018/429 दिनांक 17.09.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है। अतः विक्रेता/फर्म के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से दिनांक 14.11.2019 को श्री वेदान्त बजाज एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। साथ ही अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया व वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहा। दिनांक 17.12.2020 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब व बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000/— (अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,40,000/— (अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 4,50,000/—(अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.07.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट